

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण


पाल

बनाम

नारायणराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व वादपत्र

मुकदमा नं. 174 / 2025

हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 18.6.2025 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है, वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है।</p> <p>अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	